

सत्रह बिन्दुओं की स्वघोषणा का प्रारूप

कार्यालय का नाम—अनुमंडल पदाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

कतव्यों का विवरण :-

1. कार्यालय/विभाग का नाम ,प्रमुख कार्य एवं कतव्यों का विवरण

(क) विधि व्यवस्था ।

(ख) सी0 एन0 टी0 सी एक्ट 1908 की धारा 71 A के तहत गैर कानूनी ढंग से अन्तरित भूमि की वापसी की सुनवाई ।

(ग) धारा—107, 144, 145, के तहत सुनवाई करना ।

(घ) भू-बन्दोबस्ती से संबंधित अंचल से प्राप्त प्रस्तावों का निष्पादन/अग्रसारित करना ।

(ङ.) सामान्य प्रशासन ।

(च) आपदा प्रबंधन से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों को अपर समाहर्ता के पास अनुशंसा के साथ अग्रसारित करना ।

(छ) वैदिक सहायता से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अपर समाहर्ता के कार्यालय को प्रेषित करना ।

(2) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम/पदनाम

श्री, राजेश कुमार राय ,अनुमंडल पदाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

श्री अभीषेक चक्रवर्ती ,सहायक

श्री विष्णु मुण्डा ,सहायक

श्री त्रिलोक उराँव ,सहायक

(3) कार्यालय/विभाग में प्रमुख कार्य तथा फाइल निष्पादन की प्रक्रिया ,कार्य का दायित्व किस अधिकारी/कर्मचारी का है नाम एवं पदनाम ।

क्रमांक—(1) पर वर्णित सभी प्रकार के मामलों के लिए कोई भी प्रभावित पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामला दायर कर सकता है । दायर मामलों के निष्पादन हेतु संबंधित अधिनियम/सरकार के द्वारा नियत किए गए प्रक्रिया के अनुरूप आम सूचना या संबंधित पक्षों को नोटिस कर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है और नियमानुसार सुनवाई की जाती है । सुनवाई के उपरान्त दायर मामले का निष्पादन होता है ।

सुनवाई की कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा की जाती है और उपस्थापक का कार्य श्री जनार्दन मुण्डा करते हैं । कार्यालय के अन्य कार्यों के लिए सभी पदस्थापित/प्रतिनियुक्त सहायकों के बीच कार्यों का बँटवारा किया गया है ।

(4) कार्यालय/विभाग में कार्यों हेतु स्वयं द्वारा जो मापदण्ड बनाए गए हों उनका विवरण

कार्यों के निष्पादन हेतु किसी भी प्रकार के आवेदन को कार्यालय के द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसे प्राप्त पंजी में दर्ज कर संबंधित सहायकों को सौंपा जाता है। सहायकगण अपने लॉग बुक में इसे संधारित कर संबंधित संचिका में लगाकर पदाधिकारी के समक्ष उचित आदेश हेतु प्रस्तुत करते हैं।

(5) नियम ,विनियम ,आदेश ,निर्देशिका और अभिलेख

नियमानुसार कार्यों के निष्पादन हेतु अभिलेख/संचिका खोली गयी है। सुनवाई के दौरान नियम-विनियम आदि के आलोक में निष्पादन की कार्रवाई होती है।

(6) कार्यालय में धारित सभी दस्तावेजों की सूची

रक्षी संचिका में संधारित। इसे कम्प्यूटर में डाला जाना है।

(7) अगर किसी मामले में आम नागरिकों की सलाह लेने की आवश्यकता है तो उसका विवरण।

आम नागरिक स्वयं पदाधिकारी से मिलकर किसी भी संबंधित मामले में सलाह ले सकते हैं।

(8) कार्यालय/विभाग से अगर कोई बोर्ड ,परिषद ,समिति या कोई अन्य निकाय जुड़ा हो तो उसके संबंध में विवरण ,उसकी बैठकों संबंधी सूचना ,नियमावली ।

कार्यालय से संबंधित नहीं है।

(9) कार्यालय/विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम ,पदनाम ,कार्यालय का पता ,दूरभाष ,ई0-मेल की सूची ।

श्री राजेश कुमार राय ,अनुमंडल पदाधिकारी ,बुण्डू – 9661813307 (M)
कार्यालय दुरभाष – 06530 2552000

श्री त्रिलोक उराँव ,सहायक
श्री विष्णु मुण्डा ,सहायक
श्री अभीषेक चक्रवर्ती ,सहायक

(10) कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्तों की सूची ।

नाम एवं पदनाम	वेतन	ग्रेड पे	मंहगाई भत्ता	आवास भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल वेतन
1.श्री, राजेश कुमार राय अनुमंडल पदाधिकारी , बुण्डू ।	21780	6600	9933	—	300	38613

कार्यालय में कर्मचारी प्रतिनियुक्त होने के कारण उनके वेतनमान उपलब्ध नहीं हैं ।

(11) कार्यालय/विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ,प्रस्तावित कार्यों की जानकारी ,प्राक्कलित राशि तथा संभावित व्यय की सूचना ।

संबंधित नहीं ।

(12) कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि का विवरण इसके तहत लाभुकों की सूची तथा दिए गए लाभ का विवरण ।

कार्यालय से संबंधित नहीं ।

(13) लोगो को किसी भी प्रकार की रियायत ,अनुज्ञापत्र,पट्टा या परमिट इत्यादि दिये गये हो उसकी जानकारी , किस प्रकार का प्राधिकार दिया गया है । किसी माइनिंग का लीज हो तो इसका पूरा विवरण ।

कार्यालय से संबंधित नहीं

(14) कार्यालय में कम्प्यूटर या आडियो – विडियो रूप में जो भी दस्तावेज ,फाइलें या अन्य कोई सूचना हो उसका विवरण ।

कार्यालय के सभी दस्तावेज कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया जाना है ।

(15) कार्यालय में आम नागरिको के लिए पुस्तकालय या वाचन कक्ष हो तो इसका विवरण ।

नहीं हैं ।

(16) विभाग में जमा हुए सूचना आवेदनो की संख्या ,उसमे निष्पादन की संख्या ,वर्षवार प्रथम अपील /शिकायत एवं द्वितीय अपील की संख्या ।

वर्ष – 2006–07– 16 मामले
वर्ष– 2007–08– 18 मामले
वर्ष– 2008–09– शून्य
वर्ष– 2009–10– 02 मामले
वर्ष– 2010–11– शून्य

(17) ऐसी अन्य सूचना ,जो विहित की जाए वर्ष 2005 से कार्यालय में जमा आवेदनो की संख्या वर्षवार निष्पादन की संख्या ,प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील की संख्या ।

शून्य

अनुमंडल पदाधिकारी
बुण्डू राँची ।